न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **138 / 2024**

अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
अमरदीन पुत्र सालीया जाति मुसलमान, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर (मोहर: न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर)		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. आरबखान पुत्र सालीया 3. नूराखान पुत्र सालीया 4. रमजानखान पुत्र सालीया 5. हनी पत्नी बरकतखान 6. शाहमीरखान पुत्र बरकतखान 7. हसनखान पुत्र बरकतखान 8. हुसैनखान पुत्र बरकतखान जाति मुसलमान, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर 9. शाखा प्रबंधक, बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 5 – नरेन्द्रसिह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 23.07.2025

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा मेहरों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1109 रकबा 11.0884 हैक्टेयर तथा मौजा तालों का पार, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1045, 1047 रकबा क्रमशः 1.0360, 12. 3834 हैक्टेयर आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण को सालिया पुत्र गायड़ के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी का विरासती नामांतरकरण अन्य सहखातेदारान् द्वारा भरवाया गया, जिसमें वादी का गलत घरेलु नाम अमराखान पुत्र सालीया का अंकन करवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम अमरदीन पुत्र सालीया है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है। वर्तमान में वादी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, पैन कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम अमरदीन पुत्र सालीया दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम अमराखान पुत्र सालीया के स्थान पर सही नाम अमरदीन पुत्र सालीया घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.27 13:18:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता सहमति जवाबदावा पेश कर वादी के नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित [illegible] पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी के नाम दुरस्ती के संबंध में तहसीलदार शिव से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव की मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी के खसरा

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

र 1109, 1045, 1047 में वादी का नाम अमराखान पुत्र सालीया दर्ज है जबकि वादी के अन्य समस्त दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड अनुसार एवं मौतबिरान व पड़ौसियों से पुछताछ अनुसार वादी का नाम अमरदीन पुत्र सालीया है तथा अमरदीन व अमराखान दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप 100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किया गया।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समरत प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम अमराखान पुत्र सालीया के स्थान पर सही नाम अमरदीन पुत्र सालीया होना घोषित करते हुए तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम अमराखान पुत्र सालीया दर्ज है, जबकि तहसीलदार तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में वादी का नाम अमरदीन पुत्र सालीया दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर वादी के नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई हैं। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर पेश शपथ पत्र से भी वादी का नाम अमराखान पुत्र सालीया के स्थान पर अमरदीन पुत्र सालीया किये जाने का निवेदन किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम अमराखान पुत्र सालीया के स्थान पर अमरदीन पुत्र सालीया दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मेहरों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1109 रकबा 11.0884 हैक्टेयर तथा मौजा तालों का पार, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1045, 1047 रकबा क्रमशः 1.0360, 12.3834 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम अमराखान पुत्र सालीया के स्थान पर अमरदीन पुत्र सालीया होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.27 13:18:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव